

न्यायालय तहसीलदार मसूदा जिला अजमेर (राज.)

प्रकरण संख्या 84/2019

राजस्थान सरकार जरिए
पटवारी हल्का घोलादीन

बनाम श्री

रमेश डों देलम, मेरात

भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट
निर्णय

दिनांक 8-5-2019


पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित । मैंने पत्रावली का अवलोकन किया । पटवारी हल्का घोलादीन
द्वारा संवत् 2076 गाम घोलादीन की सरकारी भूमि असरा नम्बर 630 कुल रकबा 108/11
किस्म भूमि चरागाह में से रकबा 9 भूमि पर अप्रार्थी श्री रमेश पुत्र देलम
जाति मेरात निवासी घोलादीन द्वारा नाजायज एल.आर.एक्ट कर लिये
जाने की भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । प्रकरण भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की
धारा एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक 8/5/19 को मुकाम मातुरा
पर उपस्थित होने बाबत जारी किया गया ।

अप्रार्थी में नोटिस के जवाब में अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये । अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक
तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है । भूमि नियमन योग्य नहीं है ।

मैंने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया । अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस सबूत एवं
दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया । भूमि वर्तमान राजस्व
रेकार्ड अनुसार सरकारी खाते में दर्ज है । अप्रार्थी बतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर काबिज है । अतः

अप्रार्थी रमेश पुत्र देलम जाति मेरात
निवासी घोलादीन की सरकारी भूमि गाम घोलादीन के असरा नम्बर 630/11 कुल
रकबा 108/11 किस्म जमीन चरागाह में से रकबा 9 भूमि पर किए गए नाजायज
एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान 0.30 का पचास गुणा 15 रुपये बतौर शास्ति आरोपित
की जावे व मौके पर खड़ी फसल/अन्य को जब्त सरकार कर निलाम किया जावे आदेश की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक/
पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे । पत्रावली बाद कार्यावाही फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 8/5/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं शामिल मिसल
किया गया ।


तहसीलदार मसूदा
जिला अजमेर

